जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./17/डी–555 दिनांकः– 14-7-17

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **135वीं बैठक** दिनांकः 06.07.2017 को जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"चिन्तन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। **बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–**

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		135:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 134वीं बैठक दिनांक 06.07.17 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं बैठक 118वीं से 134वीं की पालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 134वीं बैठक दिनांक 06.07.17 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। बैठक संख्या 118 से 134 की पालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा अवशेष अनुपालना रिपोर्ट पर संतोष जाहिर किया।
2.	10	135:2	सरपंच, ग्राम पंचायत जमवारामगढ को ग्राम लांगड़ियावास तहसील जमवारामगढ़ के खसरा नं. 244/1 रकबा 55.13 बीघा भूमि किस्म चरागाह में से 0.45 हैक्टेयर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित करने बाबत।	उपायुक्त जोन–10 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत जमवारामगढ को ग्राम लांगड़ियावास तहसील जमवारामगढ़ के खसरा नं. 244/1 रकबा 55.13 बीघा भूमि किस्म चरागाह में से 0.45 हैक्टेयर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 3 के उपबिन्दु IV में श्मशान हेतु भूमि चिन्हित करने व संचालन व रख–रखाव हेतु संबंधित संस्था को हस्तांतरित करने का प्रावधान वर्णित है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम लांगड़ियावास के खसरा नं. 244/1 में से 2500 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित रखने व इसके संचालन व रख–रखाव हेतु भूमि ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा। आरक्षित की जाने वाली भूमि निदेशक (आयोजना) की सहमति से इस प्रकार चिन्हित की जाए कि शेष भूमि का भविष्य में समुचित उपयोग हो सके।
3.	PRN (S-I)	135:3	श्रीमती पल्लवी स्वामी को योजना सुखिजा विहार–ए में भूखण्ड संख्या 81 के सामने 24 मीटर सेक्टर सड़क व भूखण्ड के मध्य मौके की वर्तमान की यातायात सडक के भू–भाग क्षेत्रफल लगभग 38.26 वर्गमीटर भूमि को आवंटन करने अथवा नहीं करने बाबत।	उपायुक्त जोन–पीआरएन (दक्षिण–I) द्वारा श्रीमती पल्लवी स्वामी को योजना सुखिजा विहार–ए में भूखण्ड संख्या 81 के सामने 24 मीटर सेक्टर सड़क व भूखण्ड के मध्य मौके की वर्तमान की यातायात सडक के भू–भाग क्षेत्रफल लगभग 38.26 वर्गमीटर भूमि को आवंटन करने अथवा नहीं करने के निर्णयार्थ एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। एजेण्डा नोट के अनुसार मौके पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है। उक्त भूमि अनुमोदित मानचित्र अनुसार खसरा नं. 465 की भूमि है किन्तु उक्त भू–भाग योजना क्षेत्र में शामिल नहीं है। उक्त भाग को योजना में शामिल करने पर योजना क्षेत्रफल भी प्रभावित होगा। समिति द्वारा विचार विमर्श कर सेक्टर प्लान के अनुसार रोड की सीमा सुनिश्चित करते हुये अतिक्रमण हटाकर पुनः परीक्षण कर स्पष्ट अनुशंषा के साथ एजेण्डा नोट आगामी बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
4.	8	135:4	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को निजी खातेदारी की आवासीय योजना वर्धमान सरोवर सी में पेयजल योजना	उपायुक्त जोन–8 द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को निजी खातेदारी की आवासीय योजना वर्धमान सरोवर सी सुविधा क्षेत्र के भूखण्ड (सी–38 की ओर) में से उत्तरी भाग की भूमि 120' X 103' = 1333.37 वर्गगज (1114.83 वर्गमीटर) 40 फीट

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
...र विकास प्राधिकरण, जयपुर

			हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	सडक पर स्थित भूमि को पेयजल योजना हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर वर्धमान सरोवर सी में प्रस्तावित 1114.83 वर्गमीटर भूमि (End Use परिवर्तन की प्रत्याशा में) आवंटन करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण निःशुल्क आवंटन करने की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।
5.	10	135:5	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय को उप स्वास्थ्य केन्द्र, लखेसरा हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–10 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय को उप स्वास्थ्य केन्द्र, लखेसरा हेतु ग्राम लखेसरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 7 रकबा 1 हैक्टेयर किस्म बंजड़ भूमि में से 60 X 65 वर्गफीट अर्थात 362.31 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनाक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को ग्राम लखेसरा के खसरा नं. 7 में से 362.31 वर्गमीटर भूमि उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
6.	10	135:6	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लूणियावास हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–10 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लूणियावास हेतु ग्राम गोविन्दपुरा रोपाडा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 44 रकबा 1.48 हैक्टेयर भूमि में से 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। एजेण्डा नोट के अनुसार उक्त भूमि मास्टर विकास योजना–2011 में ईकोलोजिकल दर्शित है एवं मास्टर विकास योजना–2025 में हेरिटेज सिटी दर्शित है। विभाग द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लूणियावाास हेतु भूमि चाही गई थी, किन्तु ग्राम लूणियावास में उपयुक्त भूमि न होने से विभाग की सहमति के अनुसार ग्राम गोविन्दपुरा रोपाडा में भूमि प्रस्तावित की गई है। व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुये समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनाक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को ग्राम गोविन्दपुरा रोपाडा के खसरा नं. 44 में से 1000 वर्गमीटर भूमि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लूणियावास हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
7.	10	135:7	सरपंच, ग्राम पंचायत सायवाड़ को श्मशान हेतु भूमि आरक्षित करने बाबत।	उपायुक्त जोन–10 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत सायवाड़ को ग्राम नारदपुरा तहसील जमवारामगढ़ के खसरा नं. 253 रकबा 19.88 हैक्टेयर भूमि किस्म चरागाह में से 0.25 हैक्टेयर भूमि श्मशान हेतु भूमि आरक्षित करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 3 के उपबिन्दु IV में श्मशान हेतु भूमि चिन्हित करने व संचालन व रख–रखाव हेतु संबंधित संस्था को हस्तांतरित करने का प्रावधान वर्णित है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम नारदपुरा के खसरा नं. 253 में से 2500 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित रखने व इसके संचालन व रख–रखाव हेतु भूमि ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा। आरक्षित की जाने वाली भूमि निदेशक (आयोजना) की सहमति से इस प्रकार चिन्हित की जाए कि शेष भूमि का भविष्य में समुचित उपयोग हो सके।
8.	11	135:8	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय को	उपायुक्त जोन–11 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय को रोहिणी नगर–प्रथम आवासीय

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			रोहिणी नगर–प्रथम आवासीय योजना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेनवाल, मांजी हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	योजना के सुविधा क्षेत्र में क्षेत्रफल 2720.45 वर्गमीटर भूमि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेनवाल, मांजी हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि /3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को रोहिणी नगर–प्रथम आवासीय योजना के सुविधा क्षेत्र की 2720.45 वर्गमीटर भूमि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेनवाल, मांजी हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
9.	13	135:9	सरपंच ग्राम पंचायत, लाली को को नवसृजित ग्राम पंचायत के पंचायत भवन हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–13 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत, लाली को नवसृजित ग्राम पंचायत, लाली को राजस्व ग्राम लाली तहसील जमवारामगढ के खसरा नं. 76 रकबा 1.28 हैक्टेयर किस्म बारानी–I को पंचायत भवन हेतु भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भूमि का भू उपयोग मास्टर विकास योजना–2011 में ईकोलोजिकल दर्शित है एवं मास्टर विकास योजना–2025 में यू–3 (एलआईजेड) दर्शित है। उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट के अनुसार भूमि में एच.टी. लाईन, एल.टी. लाईन एवं नाले का नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर रखना प्रस्तावित किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि नक्शे में प्रश्नगत भूमि लम्बी पट्टी के रूप में है, अतः उक्त भूमि को रि–प्लानिंग करते हुये प्रकरण का पूर्ण परीक्षण कर उपयुक्त भूमि का स्पष्ट प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करे।
10.	13	135:10	नव सृजित न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट जमवारामगढ के न्यायालय भवन निर्माण हेतु राजस्व ग्राम जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ के खसरा नं. 594/2 में से 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–13 द्वारा नव सृजित न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट जमवारामगढ के न्यायालय भवन निर्माण हेतु राजस्व ग्राम जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ के खसरा नं. 594/2 रकबा 37 बीघा 18 बिस्वा किस्म जमीन चरागाह 31 बीघा 08 व बंजड–II 6 बीघा 10 बिस्वा में से बंजड किस्म की 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि का मास्टर विकास योजना–2011 में भू–उपयोग ईकोलोजिकल व मास्टर विकास योजना–2025 में यू–1 (आवासीय व व्यावसायिक) दर्शित है। प्रश्नगत भूमि का कुल क्षेत्रफल 37 बीघा 18 बिस्वा में से 31 बीघा 8 बिस्वा की किस्म चरागाह व 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि की किस्म बंजड–II दर्ज है एवं राजस्व मानचित्र में अलग से तरमीम नहीं है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण में विस्तृत जांच कराने का निर्णय लिया गया। अतः जोन–13 से उपस्थित तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि वह मूल खसरा नं. 594 का पुराना रिकॉर्ड देखकर यह सुनिश्चित करे कि उक्त खसरा नं. का भूमि वर्गीकरण क्या है व यह भी देखे कि उपखण्ड व तहसील कार्यालय के जो भवन बने हुये, क्या वह भूमि आवंटित है, यदि हां तो आवंटन कब व किसके द्वारा किया गया है? यदि उक्त कार्यालय को भूमि आवंटित नहीं है, तो इनके आवेदन पत्र प्राप्त कर प्रस्ताव एक साथ प्रस्तुत किया जावे।
11.	11	135:11	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय को ग्राम मोहब्बतपुरा तहसील फागी में उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय को ग्राम मोहब्बतपुरा तहसील फागी के खसरा नं. 1117/1 रकबा 19 बीघा 08 बिस्वा में से 60 X 65 वर्गफुट भूमि उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त द्वारा प्रस्तावित भूमि की किस्म चरागाह है। समिति द्वारा विचार

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				विमर्श कर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य में 60 X 65 वर्गफीट अर्थात 362.31 वर्गमीटर भूमि उप स्वास्थ्य केन्द्र, मोहब्बतपुरा हेतु आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।
12.	PRN (N-I)	135:12	अधिशाषी अभियंता, परियोजना खण्ड–II (उत्तर), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को सहकारी समिति की अनुमोदित योजना जनक विहार में श्मशान की भूमि में से पेयजल योजना हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–पीआरएन (उत्तर–I) द्वारा अधिशाषी अभियंता, परियोजना खण्ड–II (उत्तर), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को सहकारी समिति की अनुमोदित योजना जनक विहार में श्मशान की भूमि में से 25 X 25 = 625 वर्गमीटर भूमि पेयजल योजना हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। संबंधित विकास समिति द्वारा आवंटन की सहमति प्रस्तुत कर दी गई है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि /3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को जनक विहार में श्मशान की भूमि में से 25 X 25 = 625 वर्गमीटर भूमि पेयजल योजना हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
13.	13	135:13	अधिशाषी अभियंता (पीएचई), जविप्रा, जयपुर को राजस्व ग्राम चौंमू तहसील चौंमू के खसरा नं. 1050, 1051 एवं 1049/7411 में से सड़क मार्गाधिकार छोड़कर कुल 539.91 वर्गमीटर भूमि पुनर्गठित पेयजल परियोजना हेतु जलाशय एवं पम्प हाउस निर्माण के लिए आरक्षित करने बाबत।	उपायुक्त जोन–13 द्वारा अधिशाषी अभियंता (पीएचई), जविप्रा, जयपुर को राजस्व ग्राम चौंमू तहसील चौंमू के खसरा नं. 1050, 1051 एवं 1049/7411 में से सड़क मार्गाधिकार छोड़कर कुल 539.91 वर्गमीटर भूमि पुनर्गठित पेयजल परियोजना हेतु जलाशय एवं पम्प हाउस निर्माण के लिए आरक्षित करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त के प्रस्तावानुसार 539.91 वर्गमीटर भूमि आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।
14.	13	135:14	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कानोता (बस्सी) हेतु ग्राम कानोता तहसील बस्सी के खसरा नं. 351/1 रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा भूमि में से 4 बीघा भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–13 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कानोता (बस्सी) हेतु ग्राम कानोता तहसील बस्सी के खसरा नं. 351/1 रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा भूमि में से 4 बीघा भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि /3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को कानोता तहसील बस्सी के खसरा नं. 351/1 में से 1500 वर्गमीटर भूमि (पूर्व में निर्मित क्षेत्र को सम्मिलित करते हुये) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कानोता हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
15.	7	135:15	पूज्य सिन्धी पंचायत संस्था (रजि.), वैशाली नगर, जयपुर को वार्ड नं. 21 में बी.एस.एन.एल. ऑफिस के पीछे सरकारी भूमि प्लाट नं. डी–145 के सामने, वैशाली नगर, जयपुर में 500 वर्गमीटर भूमि का रोजगार परक प्रशिक्षण केन्द्र हेतु आवंटन करने के संबंध में।	उपायुक्त जोन–7 द्वारा पूज्य सिन्धी पंचायत संस्था (रजि.), वैशाली नगर, जयपुर को वार्ड नं. 21 में बी.एस.एन.एल. ऑफिस के पीछे सरकारी भूमि प्लाट नं. डी–145 के सामने, वैशाली नगर, जयपुर में 500 वर्गमीटर भूमि का रोजगार परक प्रशिक्षण केन्द्र हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। एलपीसी की 134वीं बैठक दिनांक 31.05.17 में लिये गये निर्णय के क्रम में संस्था द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये हैं। पेश दस्तावेजों के आधार पर उपायुक्त द्वारा संस्था को आवंटन करना उचित माना है। उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट के क्रम संख्या 23 में भूमि विकसित एवं बेशकीमती श्रेणी की होना अंकित किया है। संस्था द्वारा उक्त प्रयोजन को विधान में दिनांक 13.06.17 को सम्मिलित कराया गया है। अतः

उप आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूमि बेशकीमती की श्रेणी की होने से व रियायती दर पर आवंटन चाहे जाने से प्रकरण राज्य सरकार के निर्णयार्थ भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।
16.	11	135:16	श्रीमती अर्चना जैन पत्नी श्री अखिलेश जैन को सेज पुनर्वास योजना ग्राम कलवाडा के आवासीय भूखण्ड संख्या 175 का आवंटित क्षेत्रफल 375 वर्गमीटर का मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण बढ़े हुए क्षेत्रफल 32.5 वर्गमीटर के आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा श्रीमती अर्चना जैन पत्नी श्री अखिलेश जैन को सेज पुनर्वास योजना ग्राम कलवाडा के आवासीय भूखण्ड संख्या 175 क्षेत्रफल 375 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 32.5 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या 175 में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 32.5 वर्गमीटर योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

पूर्व में सेज योजना के कॉर्नर भूखण्डों में बढ़े हुये क्षेत्रफल का योजना की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 04.10.13 के अन्तर्गत जोन स्तर पर किया जा रहा था। उक्त आदेश में प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है, न कि जोन उपायुक्त को। अतः भविष्य में सेज योजना में बढ़े हुये क्षेत्रफल के प्रकरण एलपीसी प्रकोष्ठ में प्रेषित किये जावे एवं इनका निस्तारण एलपीसी द्वारा कराया जावे। एलपीसी की 120वीं बैठक दिनांक 27.10.15 में लिये गये निर्णय अनुसार मूल भूखण्ड के 20 वर्गमीटर अथवा 20 प्रतिशत तक, जो भी कम हो के बढ़े हुये क्षेत्रफल को आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन जोन स्तर पर करने का निर्णय लिया गया था। समिति द्वारा विचार विमर्श करने पर यह पाया गया कि अनुमोदित मानचित्र के अनुसार आवंटित भूखण्ड का माप मौके पर बढ जाने व स्वतंत्र भूखण्ड सृजित न होने की स्थिति में योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर से आवंटन किया जाना युक्तियुक्त प्रतीत होता है। जिन प्रकरणों में अतिरिक्त भूमि स्ट्रीप ऑफ लैण्ड की परिभाषा में आती है, उनका राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 में वर्णित प्रावधानान्तर्गत निस्तारण किया जावे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त/अभियांत्रिकी–द्वितीय/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर
15. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
16. उपायुक्त जोन–1 से 14 व पीआरएन (उत्तर–I/II व दक्षिण–I/II), जविप्रा, जयपुर।
17. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
18. विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
19. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 135वीं बैठक दिनांक 06.07.2017 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	**श्री वैभव गालरिया, आयुक्त**	अध्यक्ष
2.	श्री एच. गुईटे, सचिव	सदस्य
3.	श्री ललित शर्मा, निदेशक (अभियांत्रिकी–द्वितीय)	सदस्य
4.	श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक (नगर आयोजना)	सदस्य
5.	श्री बृजेश किशोर शर्मा, कार्यवाहक निदेशक (वित्त)	सदस्य
6.	श्री ओ.पी. बुनकर, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
7.	श्री मनोज कुमार, उपायुक्त जोन–4	विशेष आमंत्रित
8.	श्री राधे प्रताप सिंह, उपायुक्त जोन–5	विशेष आमंत्रित
9.	डॉ. सत्यप्रकाश कस्वां, उपायुक्त जोन–7	विशेष आमंत्रित
10.	श्री अशोक कुमार चौधरी, उपायुक्त जोन–8	विशेष आमंत्रित
11.	श्री मधुसूदन पालीवाल, उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित
12.	श्री रामनारायण बडगुर्जर, उपायुक्त जोन–10	विशेष आमंत्रित
13.	श्री देवेन्द्र कुमार जैन, उपायुक्त जोन–11	विशेष आमंत्रित
14.	श्री सुरेन्द्र सिंह यादव, उपायुक्त जोन–14	विशेष आमंत्रित
15.	श्री करण सिंह गोठवाल, उपायुक्त जोन–पीआरएन (उत्तर–I)	विशेष आमंत्रित
16.	श्री राकेश कुमार गुप्ता, उपायुक्त जोन–पीआरएन (दक्षिण–I)	विशेष आमंत्रित
17.	श्रीमती प्रगति आसोपा, तहसीलदार जोन–13	विशेष आमंत्रित
18.	श्रीमती उषा जैन, सलाहकार (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर